नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

महानदी द्वार मंत्रालय के बाजू में रायपुर (छ.ग.)

PH.NO.0771-4066011, FAX 0771-4066188, e-mail. ceo@nayaraipur.com

सूचना क्र. 3458 /CERN Office/एनआरडीए/10 रायपुर, दिनांक 24 /7/2010

कार्यालय सूचना

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग/छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल/रायपुर विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम रायपुर में चयनित एवं सूचीबद्ध कंसलटेन्टस से निम्न दर्शित कार्यो के लिये कार्य के समक्ष दर्शायी केटेगरी से कंसेप्ट प्लान एवं दर दिनांक 28.07.2010 संध्याः 17:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है :–

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	अमानत राशि	सूचीबद्ध कंसलटेन्ट की श्रेणी
01	02	03	04	05
1.	**न्यू राजेन्द्र नगर स्थित आर.डी.ए. बिल्डिंग में नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य अभियंता, अभियांत्रिकी प्रभाग के कार्यालय में बैठक व्यवस्था, आंतरिक साज–सज्जा, प्रकाश व्यवस्था एवं कम्प्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स हेतु नेटवर्किंग की प्लानिंग, डिजाईन, स्पेशिफिकेशन, प्राक्कलन, ड्राइंग, निविदा प्रपत्र तैयार करने का कार्य।**	रू. 11.25 लाख	रू. 2500.00	छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग/ गृह निर्माण मण्डल/ रायपुर विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम रायपुर में इम्पेनल्ड 'ए' से "सी" श्रेणी।

आवश्यक शर्तेः–

1. पिछले दो वर्षों में शासकीय/अर्धशासकीय विभागों में कम से कम 10.00 लाख के एक कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता या उससे उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
2. कार्य की आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस में दिनांक 27.07.2010 से पूर्व इस कार्यालय के श्री विजय कुमार रात्रे, कार्यपालन अभियंता से प्राप्त करें। आर्किटेक्ट के लिये कंसेप्ट प्लान आदि तैयार करने के पूर्व स्थल निरीक्षण हेतु श्री विजय कुमार रात्रे, कार्यपालन अभियंता से सम्पर्क कर कार्य के संबंध में चर्चा करनी आवश्यक है, इस हेतु आर्किटेक्ट को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. आर्किटेक्चरल कंसेप्ट ड्राईग एवं शुल्क दर (फायनेंशियल ऑफर) हेतु पृथक–पृथक लिफाफों में निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को अमान्य किया जायेगा।
4. कंसलटेंट/ आर्किटेक्टस को अमानत राशि निर्धारित दिनांक 28.07.2010 समय संध्या 17:30 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगी। यह अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में होगी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर के नाम प्लेज की जावेगी।
5. कंसेप्ट प्लान तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण (पावर पाईन्ट प्रेजेन्टेशन) के लिये कंसलटेंट को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. कंसेप्ट प्लान का प्रस्तुतीकरण (पावर पाईन्ट प्रेजेन्टेशन) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष करना होगा। कंसेप्ट प्लान को मूल्यांकन पश्चात् अधिकतम अंकों वाले चयनित वास्तुविद के प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा। प्रस्तुतीकरण तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी।
7. समिति को किसी भी कंसेप्ट प्लान को या प्राप्त सभी कंसेप्ट प्लान को बिना कारण बतायें अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। कंसेप्ट प्लान के अनुमोदन के पश्चात् आर्किटेक्ट/ कंसलटेंट का अंतिम चयन होगा अंतिम रूप से चुने गये आर्किटेक्ट/ कंसलटेंट का ऑफर एवं दर स्वीकृत होने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर के साथ अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
8. आर्किटेक्ट, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग/गृह निर्माण मण्डल/रायपुर विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम रायपुर का वर्तमान में वैध पंजीयन/इम्पेलनमेंट प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
9. अन्य शर्ते एवं सूचना में संशोधन, यदि कोई हो तो, केवल एनआरडीए के वेब–साइट **www.nayaraipur.com** में विज्ञापित किये जावेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
रायपुर (छ.ग.)